


न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. / 2016 पुनरीक्षण

15-5-16



1. सरमन पुत्र श्री ललवा यादव
 2. रतीराम पुत्र श्री टन्दू यादव
 3. ग्यासी पुत्र श्री काशीराम यादव
 4. दयाल पुत्र श्री पहलवान यादव
 5. रामनारायन पुत्र श्री पहलवान यादव
 6. मगन पुत्र श्री पूरन यादव
- सभी निवासीगण ग्राम भाटा तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

1. आफताब पुत्र श्री एम.एफ.ए. चतुर्वेदी
निवासी बंगला नं. 25 नौगांव तह. नौगांव
जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. म.प्र. शासन

..... अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला छतरपुर द्वारा प्र. कं. 07/अ-3/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2015 के विरुद्ध म.प्र. मू. राजस्व संहिता 1969 की धारा -50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि -

संक्षिप्त तथ्य -

- 1- यह कि, अनावेदक आफताब चतुर्वेदी ने मौजा अचट्ट राजस्व निरीक्षक मण्डल महैया तह. व जिला छतरपुर में स्थित भूमि ख.नं. 1083/1/ग रकबा 5.774

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ


प्रकरण क्रमांक निगरानी-1550-दो/2016

जिला छतरपुर

सरमन

विरुद्ध

आफताब व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
05-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील व जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 07/अ-3/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 30-03-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 03-05-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p> (आर.के.जैन) सदस्य</p> <p>05/3/19</p>